अंचल अधिकारी का कार्यालय, कसमार (बोकारो)

Email- cokasmar3@gmail.com

पत्रांक 466

प्रेषक,

अंचल अधिकारी,
कसमार।

सेवा में,

भूमि सुधार उप समाहर्त्ता,
बेरमो (तेनुघाट)।

कसमार, दिनांक 19/09/2022

विषय – दोहरी जमाबंदी के संबंध में।

प्रसंग – अनुमण्डल पदाधिकारी, बेरमो (तेनुघाट) के पत्रांक 561/रा0, दिनांक 18.07.2022 के अनुपालन में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के संदर्भ में सूचित करना है कि मौजा तेलमुंगा, खाता संख्या 52, प्लॉट संख्या 155, कुल रकवा 0.54 ए0 मध्ये 0.25 ए0 भूमि रैयती खाते की हैं, जिसमें विकाश चन्द्र महाराज व जय प्रकाश महाराज, ग्राम+पो0+थाना– कसमार बनाम डीप्टी नाजीर अहमद वगै0 व शेरे आलम, ग्राम–गर्री, पोस्ट–कसमार, थाना–कसमार, जिला बोकारो से संबंधित दोहरी जमाबंदीं भूमि की जॉच कर मूल अभिलेख पत्र के साथ सलंग्न कर भेजी जा रही हैं।

आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुलग्नक :– यथोक्त।

विश्वासभाजन
19.9.2022
अंचल अधिकारी,
कसमार।

23/09/22

अंचल अधिकारी का कार्यालय, कसमार (बोकारो)

अनुसूची 10 – फारम सं0 562।

आदेश – पत्रक

(देखे अभिलेख हस्तक, 1941 का नियम 129)

आदेश पत्रक/ता0.....से .....तक

जिला– बोकारो, सं0.....03.....सन् 2022–23

केस का प्रकार – विविध वाद, दोहरी जमाबंदी से संबंधित

1. विकाश चन्द्र महाराज
2. जय प्रकाश महाराज

बनाम

1. डिप्टी नाजीर अहमद वगै0
2. शेरे आलम

आदेश की क्रम सं0 और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख के साथ
1	2	3

21.07.2022

अनुमण्डल पदाधिकारी बेरमो (तेनुघाट) के पत्रांक 561/रा0 तेनु0, दिनांक 18.07.2022 से प्राप्त आदेश एवं आवेदक श्री विकाश चन्द्र महाराज व जयप्रकाश महाराज, ग्राम+पो0+थाना– कसमार, जिला–बोकारो के द्वारा आवेदन दिया गया हैं, जिसमें वर्णित है कि मौजा तेलमुंगा खाता संख्या 52, प्लॉट संख्या 155, कुल रकवा 0.54 ए0 मध्ये 0.25 ए0 भूमि रैयती खाते कि हैं। खतियान में चैतनाथ महाराज वगै0 के नाम से दर्ज हैं। आवेदन के साथ खतियानी रैयत के वंशज अनिल चन्द्र महाराज व शुकदेव महाराज पिता स्व0 मटुकधारी महाराज ने लेखधारीगण अब्दुल कय्यूम अंसारी वगै0 पिता गुबारक अली को विक्री किये गये दस्तावेज एवं केन्सलनामा दस्तावेज कि छायाप्रति लगाते हुए दोहरी जमाबंदी से संबंधित मामला बताया गया हैं।

उक्त आलोक में संबंधित राजस्व उप निरीक्षक एवं प्रभारी अंचल निरीक्षक से जॉच प्रतिवेदन मांगे।

लेखापित

अंचल अधिकारी
कसमार।

21.7.2022

अंचल अधिकारी
कसमार।

17.08.2022

अभिलेख उपस्थापित। संबंधित राजस्व उप निरीक्षक/प्रभारी अंचल निरीक्षक के द्वारा जॉच कराई गई। जॉचोंपरान्त प्रतिवेदित है कि मौजा तेलमुंगा, खाता संख्या 52, प्लॉट संख्या 155, रकवा 0.54 ए0 मध्ये 0.25 ए0 रैयती खाते की भूमि है जिसका दस्तावेज के अनुसार चौहदी उत्तर पिण्ड, मोबारक अली, दक्षिण सरकारी सड़क, पुरब लेख्यकारीगण एवं पश्चिम रास्ता जिसका सर्वे खतियान चैतनाथ महाराज वगै0 के नाम से हैं। राजस्व अभिलेख पंजी II के वोल्युम II पृष्ठ 59 में अब्दुल कय्यूम अंसारी वगै0 के नाम से रकवा 0.25 ए0 का जमाबंदी संधारित हैं।

उक्त भूमि पर दुसरे पक्ष के शेरे आलम के द्वारा उपलब्ध दस्तावेज का अवलोकन करने पर यह पता चला कि विक्रेता यानी प्रथम पक्ष के पुर्वज अनिल चन्द्र महाराज, शुकदेव महाराज पिता स्व0 मटुकधारी महाराज के द्वारा क्रेता अब्दुल कय्यूम अंसारी वगै0 को दस्तावेज संख्या 1417, दिनांक 01.04.1977, खाता संख्या 52, प्लॉट संख्या 155, रकवा 0.54 ए0 मध्ये 0.25 ए0 भूमि का विक्री कर दिया गया, इस आधार पर क्रेतागण का राजस्व अभिलेख जमाबंदी संधारित हैं।

प्रथम पक्ष के द्वारा कैन्सालनामा दस्तावेज संख्या 4852, दिनांक 14.09.1977 के द्वारा कैन्सालनामा का उल्लेख हैं, लेकिन कैन्सलनामा दस्तावेज पर क्रेता (लेख्यधारीगण) का सहगती हस्ताक्षर किसी का भी नहीं हैं। इस आधार पर अनिल

चन्द्र महाराज वगै0 के द्वारा क्रेता (लेख्यधारीगण) को गुमराह एवं अंधकार में रखकर गलत दस्तावेज बनाया गया हैं, जो दस्तावेज संदेहास्पद प्रतीत होता हैं, संबंधित पक्षकारों को नोटिस निर्गत कर अग्रेतर कार्रवाई की जा सकती हैं। संबंधित दोनों पक्षों को नोटिस निर्गत करें।

लेखापित

अंचल अधिकारी
कसमार।

17.8.2022
अंचल अधिकारी
कसमार।

19.09.2022 अभिलेख उपस्थापित। संबंधित राजस्व उप निरीक्षक/प्रभारी अंचल निरीक्षक के प्रतिवेदन एवं दोनो पक्षों के द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया, जो मौजा तेलमुंगा, खाता संख्या 52, प्लॉट संख्या 155, कुल रकवा 0.54 ए0 मध्ये 0.25 ए0 भूमि रैयती खाते की हैं, जिसका खतियान में चैतनाथ महाराज वगै0 के नाम से दर्ज हैं।

खतियानी रैयत के वंशज अनिल चन्द्र महाराज व शुकदेव महाराज पिता स्व0 मटुकधारी महाराज ने लेख्यधारीगण (द्वितीय पक्ष) अब्दुल कय्यूम अंसारी वगै0 पिता मुबारक अली को केवाला संख्या 1417, दिनांक 01.04.1977 के द्वारा विक्री किया गया था। परन्तु लेख्यकारीगण (प्रथम पक्ष) के द्वारा दस्तावेज संख्या 4852, दिनांक 14.09.1977 के द्वारा उक्त निबंधित केवाला (1417, दिनांक 01.04.1977) को कैंसलनामा करने संबंधित दावा प्रस्तुत किया हैं, जिसमें लेख्यधारीगण (द्वितीय पक्ष) के किसी भी सदस्य का सहमती हस्ताक्षर नहीं हैं। (बिक्री केवाला एवं कैंसलनामा दस्तावेज अभिलेख में सलंग्न हैं।)

द्वितीय पक्ष के मो0 शेरे आलम के द्वारा प्रस्तुत आवेदन में उल्लेखित है कि उक्त खाते की जमीन अनिल चन्द्र महाराज वगै0 के पूर्वज के नाम से खतियानी है तो फिर किस आधार पर बिना बंटवारानामा के अनिल चन्द्र महाराज एवं शुखदेव महाराज के नाम से मैनुअल पंजी II के वॉल्यूम I में पृष्ठ सख्या 138 में प्लॉट संख्या 155, रकवा 25 डी0 एवं प्लॉट संख्या 277, रकवा 10 डी0 कुल 35 डी0 का जमाबंदी कायम हैं, परन्तु ऑनलाईन पर पंजी II के वॉल्यूम संख्या I में पृष्ठ संख्या 138, प्लॉट संख्या 155, रकवा 25 डी0 एवं प्लॉट 279, रकवा 9 डी0 कुल 34 डी0 का जमाबंदी हैं, जिससे प्रतीत होता है कैंसलनामा दस्तावेज को सही साबित करने के लिए फर्जी तरीके से जमाबंदी दर्ज कराया गया।

दिनांक 01.04.1977 को अनिल चन्द्र महाराज एवं शुखदेव महाराज पिता मटुकधारी महाराज के द्वारा मौजा तेलमुंगा, खाता संख्या 52, प्लॉट 155, कुल रकवा 54 डी0 मध्ये 25 डी0 भूमि की निबंधन किया गया। निबंधन के बाद से लेकर आज तक उक्त भूमि पर दखलकार हैं। अब्दुल कय्यूम अंसारी वगै0 के नाग से केश संख्या 35/1992–93 के आलोक में नियमानुसार आम इस्तेहार करते हुए दाखिल–खारिज किया गया हैं, तक से लेकर आज तक रसीद निर्गत हैं।

अतः वर्णित भूमि मौजा तेलमुंगा, खाता संख्या 52, प्लॉट संख्या 155, कुल रकवा 0.54 ए0 मध्ये 0.25 ए0 भूमि हैं, जो दोहरी जमाबंदी से संबंधित हैं। वर्तमान में भूमि खाली परती हैं किसी भी पक्ष का दखल कब्जा नहीं है। प्रथम पक्ष के आवेदन के आलोक में कैंसलनामा दस्तावेज का संबंधित कार्यालय से जॉच कराते हुए दोहरी जमाबंदी हटाने हेतु अग्रेतर कार्रवाई की जा सकती हैं।

अभिलेख अग्रेतर कार्रवाई हेतु भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, बेरमो (तेनुघाट) को भेजें।

लेखापित

अंचल अधिकारी
कसमार।

19.9.2022
अंचल अधिकारी
कसमार।

Digitally signed by PRADEEP KUMAR SHUKLA
Date: 2023.02.25 15:00:39 +05:30
Location: 10.93.136.131